

RTI MATTER/SPEED POST
(Hindi version follows)

No.II/21022/23(3-4)/2014-FCRA-III

Ministry of Home Affairs

Foreigners Division

(FCRA Wing)

1st Floor, NDCC II Building, Jai Singh Road,

New Delhi. Dated. the 21st July, 2014

To

Shri Deepak Rathi,
592/20, Prem Nagar,
Behind Police Line,
Rohtak – 124 001

Subject: Appeal under RTI Act, 2005

Sir,


Please refer to your appeal dated 07/06/2014 on the subject cited above and to state that the information sought vide point No. 5 to 7 by you vide application dated 18/03/2014 are pertaining to FCRA Wing for which the information is as under:-

Point No.5 : Associations/Organizations/Trusts are receiving foreign contribution by getting them registered or by obtaining prior permission under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010. They have to apply online either for prior permission on FC-4 form or for registration on FC-3 Form for which the detailed procedure/guidelines are available on this Ministry's website i.e. mha.nic.in. Details about the Indian Organizations which are getting foreign contribution are also available on this Ministry's website.

Point No.6 & 7: Detailed information about the Act and Rules for receiving foreign contribution is available on this Ministry's website.

2. Hence, the information provided by the CPIO vide this Ministry's letter of even number dated 08/05/2014 is upheld.

Yours faithfully



(V. Vumlungmang)

Joint Secretary (Foreigners)/FAA

Tele No.23438034

Copy to:


1. Shri S. Samanta, Under Secretary (RTI), MHA, North Block, New Delhi – w.r.t. their OM dated 20/06/2014 for information.
2. ✓ SO (IT Cell), MHA, North Block, New Delhi – alongwith copy of the First Appeal of Shri Deepak Rathi with the request to upload the First Appeal & Reply in the MHA website in compliance of RTI Cell O.M. dated 21/05/2014.

में

158/15887388/1588/1588
158/15887388/1588/1588

14

पुत्रम धर्पोल धाधिकारी,
गृहमन्त्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली।



प्रश्न -> वांछित सूचना का मिलने बारे
जो मान जी,

निवेदन है कि मैंने जनसूचना अधिकारी से
12 मार्च 2014 को कुछ सूचनाएं मांगी थी। लेकिन आज तक मुझे
पूरी सूचना प्राप्त नहीं हुई। जो भी सूचना मुझे उपान की
गई वो धार्मिक धार्मिक जानकारी भेजी गई। मुझे पूरी जानकारी
दिलवाने का कष्ट करें। मैंने 13 बिन्दुओं पर पूरी जानकारी
मांगी थी लेकिन किसी भी बिन्दु पर मुझे पूरी जानकारी नहीं
मिली। कृपया मुझे पूरी जानकारी दिलवाने का कष्ट करें।
धन्यवाद।

निवेदन
दीपक राणा,
592/20, सेमनगर,
पुलिस लाइन के पीछे,
शेहतक - 124001/
फोन नं 15887388

दिनांक 7/6/14

Pls. send reply

JS (PP)
JS (F)
JS (IS-I)
JS (K)

में

जन सूचना अधिकारी

गृह मन्त्रालय,

भारत सरकार, नई दिल्ली।

13

विषय: → वांछित सूचना लेने हेतु। RS/01-attached
(P.O. No. 22 F 20729)

श्रीमान्जी, निवेदन है कि निम्नलिखित सूचना उपलब्ध
करवाने की कृपया करें।

- 1) क्या कोई संगठन भारत में बिना पंजीकरण के चल
सकता है? अगर हाँ तो क्या वह संविधान के अनुसार सही है?
- 2) क्या ~~राष्ट्रीय~~ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पंजीकृत है? अगर हाँ
तो कहां से पंजीकृत है?
- 3) क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) को 2 श्रेणियों का
इसी तरह की सुरक्षा उपान कर रखा है?
- 4) भारत में कितने व्यक्तिगत और 2 श्रेणियों की सुरक्षा
उपान कर रखा है?
- 5) कौन सा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बैन लगा था
अगर हाँ तो किस सन में लगा था और उसकी वजह
क्या थी?
- 6) जिन संगठनों को विदेश से पैसा मिलता है उसका
क्या नियम है? गृह मन्त्रालय विदेश से आने वाले पैसे
पर नजर रखता है? विदेशों से भारत में कितने संगठनों
को पैसा मिलता है उनका पूरा विवरण चाहिए।
- 7) किस नियम के तहत भारतीय संगठन विदेश से पैसा
ले सकते हैं? उस नियम का पूरा विवरण चाहिए।
- 8) विदेश से प्राप्त करने के क्या नियम हैं? पूरा विवरण
चाहिए।
- 9) क्या संविधान के अनुसार सभी नागरिक समाज हैं? अगर
हाँ तो कुछ नागरिकों को 2 श्रेणियों की सुरक्षा बाकी नागरिकों
के लिए कोई सुरक्षा नहीं।

जल सन्धि का नतीजा है जो कि जल सन्धि है (15)
है तो उसमें व्यापक है।

पत्रा में द्वारा देशों के साथ सन्धि विषय आधार पर
की जाती है पूरा विवरण चाहिए।

सिन्धु जल सन्धि विषय आधार पर की गई
इसमें व्यापक थी। पूरा विवरण चाहिए।

सिन्धु जल सन्धि विषय-विषय देशों के बीच हुई। इस
सन्धि के बीच क्या फैसला हुआ पूरा विवरण चाहिए।

जब कि जल भारत को विषय-विषय देशों के साथ
सन्धियाँ हुई हैं और उनमें क्या निर्णय हुआ है पूरा
विवरण चाहिए।

अन्यथा

दिनांक - 12/11/19

सिन्धु
जल सन्धि
इसमें व्यापक विवरण
उल्लेख लाइने के पीछे
सौ हतव्य - 12/11/19

दिनांक - 9/11/19

one ministry

Ministry

12/11/19

12/11/19

12/11/19